आप. प्रक. क्र. 1452/2022
शासन विरूद्ध सुमीत बंधु

Witness No.......................**01**.....................................,for–.............**अभियोजन**.................,

Deposition taken on the ...**19.10.2023**.......,day of - witness's apparent age –....**22 वर्ष**

States affirmation on oath......**शपथपूर्वक**.... my name is –......**सरिता**......

D/W/S of – ....**श्री धनेश यादव**.......occupation–......**मजदूरी**...........

Address –..............**ग्राम कंवर, चौकी कंवर, जिला बालोद(छ0ग0)**......................

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 12:40 बजे।

01. मैं न्यायालय अनुपस्थित आरोपी सुमीत बंधु को जानती पहचानती हूं वह मेरा पड़ोसी है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि लगभग 07–08 बजे के बीच की है। घटना के समय मैं अपने घर में थी। घर में मेरे अलावा मेरी दीदी रजनी यादव, कविता यादव और मेरे पिता धनेश यादव थे। हम लोग खाना खा रहे थे तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तब आवाज सुनकर मेरी बड़ी बहन रजनी ने दरवाजा खोला तब आरोपी सुमीत बंधु ने मेरी दीदी से पूछा कि सरिता कहां है उससे मैं प्यार करता हूं तब मेरी दीदी ने आरोपी से कहा कि तुम यहां क्यों आये हो तब इस बात पर आरोपी ने मेरे दीदी को दो तीन थप्पड़ गाल में मारा तब खाना खाते हुए छोड़कर मैं और कविता बाहर निकले तब कविता ने आरोपी से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तब आरोपी ने कविता की हाथ को मोड़ दिया जिससे कविता के हाथ में चूड़ी गढ़ गई।

02. आरोपी ने मेरे कॉलर का पकड़ा और कहा कि मैं तुम्हे लेने आया हूं मेरे साथ चलो। आरोपी की बुआ मेरे घर में आरोपी को लेने के लिये आई थी। आरोपी अपने घर नहीं जा रहा था मैं और मेरी दोनों बहने रिपोर्ट लिखाने के लिये जा रही थी। आरोपी के घर के पास सोसायटी के पास पहुंचे थे तब आरोपी ने

कविता यादव के चोटी को खींचा तब मैं दौड़ते हुए कंवर चौकी गई तब पुलिस वाले ने मुझे कहां कि अभी रिपोर्ट लिखने के लिये महिला पुलिस वाले नहीं है तब मैं अगले दिन लिखित शिकायत थाना गुरूर में दी थी कि जो प्रपी0 01 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी0 02 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

03. पुलिस वाले मेरे समक्ष घटना स्थल आकर घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किये थे जो प्रपी0 03 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वाले मुझे उपचार के लिये शासकीय अस्पताल गुरूर लेकर गये थे। पुलिस वाले ने मुझे धारा 160 की नोटिस दिये थे जो प्रपी0 04 जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। पुलिस वाले पूछताछ कर घटना के संबंध में मेरा बयान लिये थे।

टिपः— साक्षी अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है इसलिए साक्षी का पुलिस बयान को देखकर साक्षी से प्रतिपरीक्षण स्वरूप प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गई। विचार बाद की अनुमति प्रदान की गई।

04. यह कहना सही है कि पुलिस को बयान दिया था कि दिनांक 25.08.2022 को रात्रि में खाना खाने के लिये थाली में खाना निकाल रही थी, मेरे घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर रजीन यादव दरवाजा खोली तो मेरी बहन रजनी यादव को धक्का देकर जबरदस्ती घर अंदर आरोपी घुस गया तब आवाज सुनकर आई तो आंगन के पास सुमित बंधु को मैने कहा कि तुमसे प्यार नहीं करती हूं तू कौन होता है मेरे से प्यार करने वाला कहने पर मेरे दाहिने गाल को थप्पड़ से मार दिया और मेरी बेईज्जती करने के नियत से मेरे हाथ बाह पकड़कर कर मेरे पहने हुए सलवार सूट को खींच रहा था एवं मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर मारपीट करने टंगिया से काटकर जान से मारने की धमकी दे रहा था मेरे बड़ी बहन रजनी यादव, कविता यादव बीच बचाव करने आये तो उन लोगों को भी मां बहन की अश्लील गाली गलौज कर हाथ मुक्का से मारपीट कर भाग गया। घटना के बाद से मैं अपमानित महसूस कर रही हूं। यह कहना सही है कि गाली सुनने में मुझे बहुत बुरा लगा।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधि0 श्री दीपक सामक्टकर वास्ते आरोपी //

टिपः– प्रतिपरीक्षणकर्त्ता अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण हेतु समय चाहा गया अतः निवेदन स्वीकार कर आगामी तिथि हेतु प्रतिपरीक्षण स्थगित किया जाता है।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 01:00 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया।	गवाह का हस्ताक्षर	मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(कु. कोनिका यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(कु. कोनिका यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला–बालोद छ.ग.